

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/2045

दिनांक:- 20 मई, 2026

— : आ-दे-श : —

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण का पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	मीता बाजपेयी आशुलिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 2	ACJ&JM No. 18 (Sanganer HQ)
02	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	ADJ Bassi
03	लोकेश मीणा आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	ADJ Bassi
04	अनिल कुमार मीणा आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 8	ADJ No. 2
05	अर्जुन लाल मीणा रीडर ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	ACJM No. 12 (Bassi HQ)

- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	कपिल कुमार आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJM No. 11	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III
2.	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	लोकेश मीणा आशुलिपिक ग्रेड-III
3.	लोकेश मीणा आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	Spl. JM (NI Act Cases) No. 11 (Bassi HQ)	आशुलिपिक ग्रेड-III के रिक्त पद पर
4.	अर्जुन लाल मीणा रीडर ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	Spl. JM (NI Act Cases) No. 11 (Bassi HQ)	रीडर ग्रेड-III के रिक्त पद पर
5.	सूरज कुमार लुगारिया लिपिक ग्रेड-II	ADJ No. 5	Spl. JM (NI Act Cases) No. 11 (Bassi HQ)	लिपिक ग्रेड-II के रिक्त पद पर
6.	हरि मोहन गुप्ता लिपिक ग्रेड-II	Spl. Court, POCSO Act Cases No. 2	Spl. JM (NI Act Cases) No. 11 (Bassi HQ)	लिपिक ग्रेड-II के रिक्त पद पर
7.	लोकेश जैन च०श्रे०क०	Spl. Court, POCSO Act No. 2	ACJM (PCPNDT Act Cases)	च०श्रे०क० के रिक्त पद पर
8.	किशोर प्रसाद चंदेल च०श्रे०क०	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	ADJ Chaksu	रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारीगण को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

- 03 जयपुर महानगर-I में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	श्रीकृष्ण शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-II	ACJM No. 19	ADJ No. 2
02	मीता बाजपेयी आशुलिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 2	ACJ&JM No. 17 (Sanganer HQ)
03	अतुल देव मित्तल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 17 (Sanganer HQ)	ACJM No. 15 (Chaksu HQ)

20/5/26 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
04	लाल चन्द मीणा आशुलिपिक ग्रेड-II	ACJM No. 15 (Chaksu HQ)	ADJ Chaksu
05	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	ADJ Bassi
06	हरि किशन मीणा तामिल कुनिन्दा	ADJ Bassi	Spl. JM (NI Act Cases) No. 11 (Bassi HQ)

नोट:-

- श्री आशीष शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-II न्यायालय एसीजेएम क्रम-5 से आगामी आदेश तक पूर्वाह्न अर्ध दिवस न्यायालय सीजे एण्ड जेएम (पूर्व) में तथा मध्याह्न पश्चात अर्ध दिवस न्यायालय जेएम क्रम-1, जयपुर महानगर-प्रथम में कार्य सम्पादित करेंगे।
- उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

20.5.26 -
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2026/2045

दिनांक:- 20 मई, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

20.5.26 -
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम